ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 67

पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2100.00	1.29	2101.29	2100.00	1.22	2101.22	2160.00	1.35	2161.35
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2100.00**	**1.29**	**2101.29**	**2100.00**	**1.22**	**2101.22**	**2160.00**	**1.35**	**2161.35**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.22	1.22	...	1.15	1.15	...	1.27	1.27
ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई										
2. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	3601	1153.99	...	1153.99	1153.99	...	1153.99	1188.75	...	1188.75
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	2215	609.91	0.07	609.98	609.91	0.07	609.98	620.15	0.08	620.23
	जोड़	*1764.00*	*0.07*	*1764.07*	*1764.00*	*0.07*	*1764.07*	*1809.00*	*0.08*	*1809.08*
3. ग्रामीण सफाई	3601	35.10	...	35.10	35.10	...	35.10	13.27	...	13.27
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	2215	90.85	...	90.85	90.85	...	90.85	121.68	...	121.68
	जोड़	*126.00*	*...*	*126.00*	*126.00*	*...*	*126.00*	*135.00*	*...*	*135.00*
जोड़-ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई		**1890.00**	**0.07**	**1890.07**	**1890.00**	**0.07**	**1890.07**	**1944.00**	**0.08**	**1944.08**
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00	216.00	...	216.00
	जोड़	*210.00*	*...*	*210.00*	*210.00*	*...*	*210.00*	*216.00*	*...*	*216.00*
कुल जोड़		***2100.00***	***1.29***	***2101.29***	***2100.00***	***1.22***	***2101.22***	***2160.00***	***1.35***	***2161.35***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जल आपूर्ति और सफाई	22215	1890.00	...	1890.00	1890.00	...	1890.00	1944.00	...	1944.00
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	210.00	...	210.00	210.00	...	210.00	216.00	...	216.00
जोड़		**2100.00**	**...**	**2100.00**	**2100.00**	**...**	**2100.00**	**2160.00**	**...**	**2160.00**

1. इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाकर देश में सभी ग्रामीण स्थानों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, सरकार विगत वर्षों से ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। प्रयोगात्मक आधार पर पूरे देश में चुनिंदा प्रायोगिक जिलों में आयोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन में सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत बनाने और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को बनाए रखने के कदम उठाए जा रहे हैं।

3. सरकार ग्रामीण लोगों को सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने को अत्यधिक प्राथमिकता देती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय सफाई पर अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से दि. 1.4.99 से केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की पुनर्संरचना की गयी है और मांग आधारित दृष्टिकोण पर 100 अभिज्ञात प्रायोगिक जिलों में इसे आरम्भिक तौर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सामुदायिक नेतृत्व वाला और जनता पर केंद्रित कार्यक्रम है। एक प्रमुख संघटक के रूप में ग्रामीण विद्यालय सफाई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और अपनी आरम्भिक अवस्था में ही ग्रामीण जनता में सफाई को अपनाने के प्रति व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। अब इसे परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे जिला विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किया गया है।

4. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान किया गया है।